

राजस्थान सरकार

वन विभाग

नगरिको एवं संस्थाओ हेतु वन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों (जिसमें पेड काटना एवं उनकी अनुज्ञा पत्र (Transit Pass) जारी करना सम्मिलित है) के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

1. वन क्षेत्रो एवं वन्यजीव एवं संरक्षित हेतु :- भारत सरकार द्वारा विकसित Online Application forestclearance.nic.in पर रजिस्टर कर आवेदन कर सकते है। समस्त सहायता हेतु दस्तावेज साइट पर उपलब्ध है।

2. गैर वन एवं गैर संरक्षित क्षेत्रो हेतु :- वन क्षेत्रो की अनुमानित सीमाएँ विभागीय वेबसाइट forest.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं। वन क्षेत्रो एवं संरक्षित क्षेत्रो के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो के लिए वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कुछ संस्थान/विभाग उनके कार्यों को वन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र चाहते है। इसके लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन एप्लीकेशन fmdss.forest.rajasthan.gov.in विकसित की गई है। FMDSS से वन विभाग अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की [User Manual](#) साइट पर उपलब्ध है। इसके लिए सर्वप्रथम sso.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। उसके उपरान्त Forest & WildLife Module के अंतर्गत सुविधा प्राप्त होगी।

- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक [एफ2\(1\)2Rev.8/73 पार्ट-1](#) दिनांक 09.02.1983 द्वारा राजस्व क्षेत्रो के लिए Transit Pass जारी करने हेतु राजस्व अधिकारियो को अधिकृत किया गया है।
- [38 प्रजापतियो](#) की सूची जिनके लिए परिपत्र (Transit Pass) की आवश्यकता नहीं है।
- [लकडी परिवहन](#) पत्र प्राप्त करने की अधिसूचना।
- पारपत्र (Transit Pass) प्राप्त करने हेतु आवश्यक [सूचनाएं/दस्तावेज](#)।
- भारत सरकार द्वारा [काष्ठ आधारित लकडी](#) के उद्योग संबंधी दिशा निर्देश।